क्रमांक 9109-3 जी0 एस0-II-75/27898

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

हरियाणा के सभी खजाना अधिकारी।

दिनांक, चण्डीगढ 24 सितम्बर, 1975

विषय :- सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को सुविधाएं ग्रुप देना--इन्श्योरेन्स स्कीम का लागू करना।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नोटिफिकेशन नं0 GSR-39/Const./Art. 309/75, दिनांक 25-4-75 के पैरा 7 की ओर आपका ध्यान दिलाते हुए यह कहने का निदेश हुआ है, कि अप्रैल 1975 से जब के यह स्कीम लागू की गई है आपकी ओर से सभी विभागों के कर्मचारियों के वेतन में से 1 रु0 प्रति मास की दर से काटी गई राशि की कुल रिकवरी के सम्बन्ध में अभी तक कोई सूचना राज्य सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुई है हालांकि यह सूचना हर मास की 10 तारीख तक प्राप्त हो जानी चाहिए थी। इसके फलस्वरूप राज्य सरकार इस बात का अनुमान नहीं लगा सकती कि इस स्कीम के लागू होने पर राज्य सरकार को कितनी राशि प्राप्त हुई है। इसलिये आपसे अनुरोध है कि आप अप्रैल, 1975 से लेकर अब तक, प्रति मास के हिसाब से आवश्यक सूचना अवर सचिव, न्यायाचार, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ को भी अति शीघ्र भेजें। इस के अतिरिक्त भविष्य में भी ऐसी सूचना अवर सचिव, न्यायाचार को प्रति मास की 10 तारीख तक प्रस्तुत की जाए।

2. कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाए।

भवदीय,
हस्ता/-
अवर सचिव, न्यायाचार,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग (खजाना एवं लेखा विभाग) चण्डीगढ़ को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

2. यह अनुरोध किया जाता है कि सभी खजाना अधिकारियों को अनुदेश जारी किये जाएं कि वे राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नोटिफिकेशन दिनांक 25-4-75 के पैरा 7 के अनुसार राज्य सरकार को आवश्यक सूचना हर मास की 10 तारीख तक अवश्यमेव भेज दें।